सं. 4/38/2008-पी.एण्ड पी.डब्ल्यू (डी.)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

पेंशन और पेंशन कल्याण विभाग

तृतीय तल, लोक नायक भवन,
खान मार्किट, नई दिल्ली-110003
दिनांक 27 मई 2009

कार्यालय ज्ञापन

विषय:- सरकारी सेवक जिन्होंने केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/केन्द्रीय स्वायत्त निकायों में आमेलन होने पर एकमुश्त भुगतान ले लिया हो, के संबंध में पेंशन के 1/3 संराशीकृत भाग का संशोधन – छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर सरकार के निर्णय के कार्यान्वयन पर संशोधित 1/3 बहाल की गई पेंशन जमा महंगाई वेतन (डी.पी) एवं महंगाई राहत (डी.आर.) की धनराशि जो 01.09.2008 तक पहले ही आहरित 1/3 संशोधन पूर्व बहाल की गई पेंशन जमा देय महंगाई वेतन एवं महंगाई राहत से कम न हो, के संबंध में ।

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि उन सरकारी सेवकों की 1/3 बहाली योग्य पेंशन, जिन्होने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/स्वायत्त निकायों में आमेलन होने पर प्रो-राटा पेंशन (1/3 एवं 2/3) के संबंध में एक मुश्त भुगतान ले लिया है, तथा संराशीकृत होने की तिथि के 15 वर्ष या 1.4.85 जो भी बाद में पड़े, के बाद इस विभाग के दिनांक 5 मार्च, 1987 के कार्यालय ज्ञापन सं. 34/2/86 पी.एण्ड.पी.डब्ल्यू के प्रावधान के अनुसार पेंशन के 1/3 संराशीकृत भाग की बहाली के हकदार हो गए हैं, को दिनांक 14 जुलाई, 1988 के कार्यालय ज्ञापन सं. 4/59/97-पी.एण्ड.पी.डब्ल्यू (डी) तथा 6.9.2007 के कार्यालय ज्ञापन 4/79/2006-पी.एण्ड.पी.डब्ल्यू (डी) के द्वारा विनियमित किया गया है । छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर सरकार के निर्णय के अनुसरण में पेशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग के दिनांक 15 सितंबर, 1988 के कार्यालय ज्ञापन द्वारा ऐसे आमेलन हुए सरकाकरी सेवकों के 1/3 बहाल योग्य पेंशन के संशोधन के संबंध में अनुदेशकि जारी किए गए हैं ।

2. पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग को अभ्यावेदन प्राप्त हुए है कि दिनांक 15.9.2008 के कार्यालय ज्ञापन में निहित अनुदेशों के कार्यान्वयन के कारण पेंशनभोगियों द्वारा यथा आहरित 1/3 बहाल की गई पेंशन एंव देय मंहगाई वेतन एवं मंहगाई राहत की धनराधि की तुलना में 1/3 बहाल की गई पेंशन तथा महंगाई राहत में कमी आ गई है ।

3. राष्ट्रपति ने यह निर्णय लिया है कि आमेलित हो चुके ऐसे सरकारी सेवक जिनकी संशोधन पूर्व 1/3 बहाल की गई पेंशन एवं देय मंहगाई वेतन एवं मंहगाई राहत दिनांक 1.9.2008 तक छठे केन्द्रीय वेतन आयोग पर सरकार की सिफारिशों पर दिनांक 15.9.2008 के कार्यालय ज्ञापन में निहित अनुदेशों के संदर्भ में संशोधित बहाल की गई 1/3 पेंशन एवं मंहागाई राहत की तुलना में अधिक होती है, वे ऐसे समय तक दिनांक 15.9.2008 के कार्यालय ज्ञापन के जारी होने के पूर्व विद्यमान आदेशों के परिपेक्ष्य में संशोधनपूर्व पेंशन एवं मंहगाई वेतन एवं देय मंहगाई राहत लेते रहेंगे तब तक कि दिनांक 15.9.2008 के कार्यालय ज्ञापन में निहित अनुदेशों के संदर्भ में संशोधित पेंशन की बहाल की गई धनराशि तथा मंहगाई राहत संशोधन पूर्व 1/3 बहाल की गई पेंशन से अधिक न हो जाए ।

4. इसलिए प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों को यह सुनिश्चित करने का निदेश दिया जाता है कि जहां दिनांक 15.9.2008 के कार्यालय ज्ञापन में निहित अनुदेशों के संदर्भ में आमेलित हो चुके ऐसे सरकारी सेवकों जिनकी संशोधित पेंशन की बहाल की गई धनराशि एवं मंहगाई राहत पहले से आहरित संशोधन पूर्व बहाल की गई 1/3 पेंशन तथा मंहगाई वेतन एवं मंहगाई राहत से कम होती है तो आमेलित कर्मचारियों को ऐसे समय तक उनको देय पेंशन संबंधी लाभ आहरण करने की अनुमति दी जानी चाहिए जब तक कि दिनांक 15.9.2008 के कार्यालय ज्ञापन में निहित अनुदेशों के संदर्भ में संशोधित पेंशन की बहाल की गई धनराशि तथा मंहगाई वेतन एवं मंहगाई राहत संशोधन पूर्व बहाल की गई 1/3 पेंशन तथा 1.9.2008 तक देय मंहगाई वेतन एवं मंहगाई राहत की तुलना में अधिक न हो जाए । पी.पी.ओं. में इस आशय की प्रविष्टियां तदनुसार की जाएगी ।

6. यह वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग की सहमति से उनके दिनांक 18.05.2009) के यू.ओ.सं. 106/ई.वी./2009 तथा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के दिनांक 5.5.2009 के यू.ओ.सं. 30/ऑडिट (नियमावली)/12/-2009 की सहमति से जारी किया जाता है ।

(राज सिंह)
निदेशक

सेवा में,

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग (प्रेषण सूची के अनुसार)

Copy to:- NIC for putting it up on web.